



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


AF 891130

ट्रस्ट डीड

ट्रस्ट की सम्पत्ति - 10,000/-

स्टाम्प - 750/रुपये।

मै कि अशोक कुमार पुत्र श्री जिलेसिंह निवासी ग्राम राजपुर छाजपुर तहसील बुढाना जिला मु0नगर अपने स्वस्थ मन, बुद्धि, विवेक से बिना किसी दबाव प्रभाव के अपने आत्मोत्थान एवं सर्व समाज के विस्तृत हित में निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अंकन- 10,000/ रुपये से "जे. एस. मैमोरियल ट्रस्ट" की निम्न रूप से स्थापना करता हूँ। ट्रस्ट का नाम, कार्यालय, उद्देश्य, व्यवस्था, संरचना, ट्रस्टीगणों के नाम एवं नियमों को अपने हस्ताक्षरों से लिपिबद्ध करता हूँ -



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CF 053479

1. ट्रस्ट का नाम -
2. ट्रस्ट का स्थायी / अस्थायी पता :
3. ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र
4. ट्रस्ट के उद्देश्य

1. सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में सरकार का सहयोग करना, अपाठकालीन
2. "जे. एस. मैमोरियल ट्रस्ट"

: ग्राम राजपुर छाजपुर तहसील बुढाना जिला मु0नगर।
: समस्त भारत वर्ष

: 1. शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना, शिक्षण उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय, कालेज, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना।

2. जनहितार्थ, धर्मशाला, चिकित्सालय, अनाथालय, वृद्धाश्रम, विधवाश्रम, छात्रावास का निर्माण करना व संचालन करना।

3. समाज के सभी वर्गों के विकास हेतु स्वावलम्बी बनाने हेतु सहयोग व सहायता करना।

4. विकलांग, मुकबाधितों, नेत्रहीनों, विधवाओं, वृद्धों, निराश्रितों व बेरोजगारों के कल्याण एवं उत्थान हेतु कार्य करना।

5. समाज के सुधार एवं उत्थान के कार्य करना, समाज में फेली कुरीतियों तथा व्याप्त नशा, मद्यपान आदि से होने वाली हानियों से अवगत कराना एवं बचाव हेतु सुझाव देना।

हस्ताक्षर



स्टांप विकल्प का क्रमांक..... 90
 स्टांप का मूल्य शब्दों एवं अंकों में..... 50/-
 स्टांप होता का नाम, पिता का नाम व पता.....
 पता.....
 स्टांप कब करने का प्रयोजन.....
 स्टांप विकल्प की तिथि..... 25-8-2020

पंजीयत सुभाष स्टांप विक्रेता
 सां नं 248, सतं बुझाना (मु० नगर)
 साइलेंस की अवधि 31-03-2022

15/03/2022
 15/03/2022

15/03/2022
 15/03/2022


CF 023478

उत्तर प्रदेश

"उत्तर प्रदेश अधिनियम 1956" :
 1. प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।
 2. प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।
 3. प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।
 4. प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।
 5. प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।
 6. प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।
 7. प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।
 8. प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।
 9. प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।
 10. प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।

1. मातृ का अधिकार
 2. पिता का अधिकार
 3. पति का अधिकार
 4. पत्नी का अधिकार

15/03/2022



CF 053480


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3

6. सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में सरकार का सहयोग करना, आपातकालीन परिस्थितियों में आपदा पीड़ितों की सहायताार्थ सामग्री आदि सुविधाये उपलब्ध कराना।
7. पर्यावरण के संरक्षण हेतु समाज में जागरूकता लाना, पर्यावरण की रक्षार्थ ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना जैसे वृक्ष लगाना, गोष्ठी सलाह करना, स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देते हुए उसका संचालन करना।
8. समय-समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं व गोष्ठियों एवं सम्मेलन जैसे खेल-ज्ञान विज्ञान, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन करना।
9. सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित निर्धन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सचल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना तथा समाज के सभी वर्गों के उपेक्षित एवं गरीब और आर्थिक स्तर पर कमजोर बेसहारा वर्ग के विकास हेतु हर सम्भव प्रयास करना।
10. जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रमों का आयोजन कर समाज में जागरूकता लाना, जाति, धर्म व भाषा के आधार पर उत्पन्न द्वेष वैमनस्य की भावनाओं को दूर कर राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना।

अशोक कुमार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CF 053477

4

5. ट्रस्ट की सदस्यता-
अ-संस्थापक ट्रस्टी -

ब-आजीवन सदस्य

स-सहयोगी ट्रस्टी

श्री. सुभाष

ट्रस्ट स्थापना व ट्रस्ट पत्र को लेखबद्ध करने वाला अशोक कुमार पुत्र श्री जिलेसिंह निवासी ग्राम राजपुर छाजपुर तहसील बुढाना जिला मु0नगर ट्रस्ट का अध्यक्ष उनकी मृत्यू अथवा उसके भविष्य में पद त्याग करने व 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा करने पर ट्रस्ट के आजीवन सदस्यों में से योग्यता के आधार पर व बहुमत से संस्थापक ट्रस्टी बनते रहेगे।

ट्रस्ट के उददेश्यों के प्रति समर्पित निष्ठावान तथा ट्रस्ट डीड में वर्णित समस्त ट्रस्टीगण ट्रस्ट के आजीवन सदस्य होंगे। भविष्य में मृत्यू अथवा त्यागपत्र देने पर रिक्त स्थानों की पूर्ति शेष आजीवन ट्रस्टीगण द्वारा बहुमत से की जा सकेगी। आजीवन सदस्यगण/ट्रस्टीगण की संख्या रखी गयी है।

: ट्रस्ट प्रबन्ध कारिणी द्वारा सर्व सम्मति से ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतु विशेष आर्थिक योगदान करने वाले व्यक्ति को जो किसी भी दशा में 1100/- रुपये से कम न हो सहयोग ट्रस्टी के रूप में सदस्यता प्रदत्त की जा सकेगी।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CF 053478

6. ट्रस्ट की सदस्यता समाप्ति-
अ-संस्थापक ट्रस्टी -

7-ट्रस्ट प्रबंधकारिणी

5


अ: मृत्यू अथवा त्यागपत्र अथवा दिवालिया विक्षिप्त वित्त होने व गम्भीर आरोप सिद्ध होने के अलावा आजीवन ट्रस्टी की सदस्यता समाप्त नहीं होगी।

ब: ट्रस्ट के उद्देश्यो के विरुद्ध कार्यरत ट्रस्टी की सदस्यता समाप्त बहुमत के आधार पर समाप्त की जा सकेगी।

स: सक्षम न्यायलय द्वारा दंडित किये जाने पर ट्रस्ट की सदस्यता स्वयं ही समाप्त हो जायेगी।

अध्यक्ष, आजीवन ट्रस्टीगण द्वारा तथा प्रबंध कार्यकारिणी का गठन जिसमें उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीगण का चुनाव बहुमत के आधार पर प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि हेतु होगा। प्रबन्ध कार्यकारिणी के आकार में परिवर्तन का अधिकार होगा

अधीनस्थ
[Handwritten signature and a fingerprint]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CF 053481

6. बैठक -

ब-सूचना-

र-गणपूर्ति

छ-वार्षिक बैठक

6

:प्रबन्धकारिणी की वर्ष में कम से कम बैठक एवं परिस्थितियों के अनुरूप कभी भी 3 दिन के एजेण्डे के आधार पर बैठक आहुत की जा सकेगी।

:सूचना में बैठक का स्थल, समय, विचारणीय बिन्दु एवं प्रस्तावों का संक्षिप्त विवरण होना आवश्यक है तथा बैठक हेतु कम से कम 3 दिन पूर्व सूचना प्रेषित करनी अपेक्षित है।

:किसी भी बैठक ट्रस्टपदाधिकारीगण के अतिरिक्त 3 आजीवन सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।

: ट्रस्ट की वार्षिक बैठक में सम्पूर्ण आय, व्यय का विवरण, चुनाव अथवा पारित प्रस्तावों के क्रियावन्धन से संदर्भित विषय अथवा अन्य विषय अथवा अन्य विवरण अथवा सूचनाएँ जिनको बताया जाना अपेक्षित है अथवा अन्य कोई भी विषय जो सदस्य उठाना अथवा रखना चाहता है अथवा गतिविधियों की समीक्षा एवं मुल्यांकन अथवा ट्रस्ट उद्देश्यों को अग्रसारित करने हेतु विचार सम्मलित है।

872/11/2020
[Handwritten signature and a circular stamp]

8. पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य-
अ-अध्यक्ष

ब-उपाध्यक्ष-

स-सचिव-

छ-सहसचिव-

य- कोषाध्यक्ष-

स-सचिव-

छ-सहसचिव-

9. ट्रस्ट के अधिकार व कर्तव्य-

10. लेखा परिक्षक-

11. ट्रस्ट का कोष-

अध्यक्ष का कर्तव्य बैठको के आयोजन हेतु निर्देशन व अध्यक्षता करना व मत विभाजन की स्थिति में निर्णायक अभिमत प्रकट करना। प्रबंधकार्यकारिणी का प्रबंध काल पूरा होने से 1 माह पूर्व नही प्रबंध कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया सुनिश्चित करना।

: अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठको का संचालन, प्रबन्धन करना, अथवा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष में निहित कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करना।

: सभी बैठको, कार्यवाहियों का संचालन एवं व्यवस्था करना, ट्रस्ट की ओर से वैधानिक प्रतिनिधित्व करना, ट्रस्ट कार्यलय का प्रबंधन, नियन्त्रण, व्यवस्थितिकरण, पारित प्रस्तावों का क्रियावन्धन ट्रस्ट के आय, व्यय का विवरण रखना व संचालन करना।

: सचिव की अनुपस्थिति में बैठको संचालन, प्रबन्धन करना तथा सचिव की अनुपस्थिति में सचिव में निहित कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करना।

: 1. संस्था के कोष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक मे खाता खोलना व उसका संचालन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के साथ करना एवं केशबुक और लेजर और पूरा रिकॉर्ड रखना तथा किन्ही 2 के साथ खातो का संचालन करना जिसमें आवश्यकता हो।

2. केशबुक लिखना।

3. बाऊचरो का रखरखाव करना।

4. सभी आय सम्बंधी रिकॉर्ड के संस्था के निर्देशानुसार किसी निश्चित अवधि तक रखना।

प्रबन्ध समिति के द्वारा कोई भी निर्णय लिया व निरस्त किया जा सकता है। ट्रस्ट लाभ हेतु कोई भी चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त की जा सकती है तथा आवश्यकता अनुसार विक्रय भी किया जा सकता है। ट्रस्ट की कोई भी सम्पत्ति विक्रय करने से पूर्व प्रबंधकारिणी में प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास होना अनिवार्य है।

: स्मस्त आय व्यय तथा अर्थव्यवस्था का निरीक्षण, त्रुटियों का परिमार्जन उचित रखरखाव, उचित मद में खर्च, व्यवस्था एवं दिशा निर्देशन तथा समाधान व्यवस्था प्रपत्र कार्यकारिणी को जारी करना।



आवेदन सं०: 202000709006941

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 30

वर्ष: 2020

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
न्यासी: 1

श्री अशोक कुमार, पुत्र श्री जिलेसिंह

निवासी: राजपुर-छाजपुर

व्यवसाय: अन्य

अशोक कुमार



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री गौरव कुमार, पुत्र श्री राजसिंह

निवासी: राजपुर-छाजपुर

व्यवसाय: अन्य

गौरव कुमार



पहचानकर्ता: 2

श्री संजू कुमार, पुत्र श्री सोहनवीर

निवासी: राजपुर-छाजपुर

व्यवसाय: अन्य

Sanju Kumar

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए
गए है।

टिप्पणी:

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

मुजफ्फरनगर बुढाना उपनिबंधक

उप निबंधक: बुढाना

मुजफ्फरनगर

मुजफ्फरनगर बुढाना लिपिक

निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

संशोधन

: यदि ट्रस्ट डीड में संशोधन की आवश्यकता होगी तो प्रबन्ध कारिणी के 2/3 के बहुमत से संशोधन पास होना आवश्यक होगा।

14. ट्रस्ट रजिस्टर -

- 1- ट्रस्ट सदस्यता रजिस्टर।
- 2-कार्यवाही रजिस्टर।
- 3-आय-व्यय रजिस्टर।
- 4-पत्राचार रजिस्टर।

15. ट्रस्ट के ट्रस्टीगण , जिन्हे आजीवनल सदस्य बनाकर ट्रस्ट का उत्तरदायित्व सौपा गया है -

इश्वर सिंह राणा



क्र०सं०	पद का नाम	नाम ट्रस्टी	पता
1.	अध्यक्ष	श्री अशोक कुमार पुत्र जिले सिंह आधार कार्ड सं०-378008175024 मो० नं-9759378701	ग्राम राजपुर छाजपुर जिला मु०नगर
2.	उपाध्यक्ष	श्री ईश्वर सिंह राणा पुत्र श्री अशोक कुमार मो० नं-8923078672	ग्राम राजपुर छाजपुर जिला मु०नगर
3.	सचिव	श्री विनित कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार	ग्राम राजपुर छाजपुर जिला मु०नगर
4.	कोषध्यक्ष	श्रीमति कविता सिंह तोमर पत्नी श्री ईश्वर सिंह राणा	ग्राम राजपुर छाजपुर जिला मु०नगर


साक्षी - गौरव कुमार पुत्र राज सिंह निवासी राजपुर छाजपुर
तह. बुढाना, जिला मु०नगर
आधार कार्ड नं- 9141365441083991



साक्षी - संजू कुमार पुत्र सोहनवीर निवासी राजपुर छाजपुर तह. बुढाना,
जिला मु०नगर आधार कार्ड नं- 648495400010

संजू कुमार

मसौदा कर्ता- प्रशान्त कुमार एडवोकेट तह. बुढाना।
टाईप कर्ता - शिवचरण पुत्र मॉंगेराम निवासी लुहसाना तह. बुढाना



PARSHANT KUMAR SHARMA

Advocate

Teh. Budhana (M.nagar)
R.N. U.P. 4140/05



आवेदन सं०: 202000709006941

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 17 के पृष्ठ 15 से 30 तक क्रमांक 30 पर दिनांक 27/08/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Anand Singh
मुजफ्फरनगर बुढाना उपनिबंधक

उप निबंधक : बुढाना

मुजफ्फरनगर

27/08/2020

क्रमांक	पृष्ठ संख्या	विवरण	दिनांक
1	15
2	16
3	17
4	18
5	19
6	20

प्रिंट करे

20

20